

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 23 ^{दिसम्बर} अक्टूबर, 2020


विषय: भारत सरकार, से जी0एस0डी0पी0 का 2% अतिरिक्त Borrowing प्राप्त करने हेतु राज्य में खनिजों से सम्बन्धित सेवाओं को ऑन लाईन किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17 मई, 2020 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11 अगस्त, 2020 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त संख्या-1396-सी दिनांक 19.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक विकास विभाग (खनन) से सम्बन्धित समस्त सेवाओं को एकल खिड़की के माध्यम से विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः इस संबंध में District Reform Plan 2020-21 के अनुसार औद्योगिक विकास विभाग (खनन) से सम्बन्धित समस्त सेवाएं Open Source Open Standard पद्धति से विकसित किये जाने हेतु SOP (Standing Operating Procedure), संलग्न कर प्रेषित करते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

 भवदीय,
(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव